केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/220 दिनांक: 06.07.2017
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00213
CICOM/R/2017/00712

अपीलकर्ता : श्री राधेश्याम गोयल,
पुत्र – स्व0 श्री भगवानदास गोयल,
23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर,
राजस्थान ।

निर्णय की तारीख : 06.07.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	23.05.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	13.06.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री विजय भल्ला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.06.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	146167/05.07.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 23.05.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री विजय भल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा उनकी रजिस्ट्री से संबंधित बिंदु सं. एक से संबंधित सूचना प्रदान की गई है । अपीलकर्ता ने अपने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें बिंदु सं. दो व तीन से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की गई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर अपीलकर्ता की शिकायत को सही पाया गया तथा यह भी पाया गया कि आवेदन के बिंदु सं. दो एवं तीन में उल्लिखित संचिका सं. CIC/SB/A/2016/000757 एवं CIC/SB/A/2016/000048 जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है जो कि मुख्य सूचना आयुक्त की रजिस्ट्री से संबंधित है । अत: आर.टी.आई. आवेदन की प्रति संलग्न करत हुए श्री एस.सी.शर्मा, उप-पंजीयक (मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को उनके आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2 एवं 3 से संबंधित सूचना उपलबध करवाई जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस.सी.शर्मा, उप-पंजीयक (मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, नई दिल्ली ।

C. I. C./कें० सू० आ०
RECEIVED
07 JUL 2017
D. No.
Initials